झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–77 / 2020

रावण लोहार उर्फ राउन लोहार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री विकास कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री रवि प्रकाश, विशेष पी0पी0।

2 / 15.01.2020

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार और राज्य की ओर से विद्वान विशेष पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 51 / 2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 193 / 2018 से उदभूत् एस0टी0 वाद संख्या 84 / 2018 के संबंध में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक और उसके मित्र के पैसे, मोबाइल और दस्तावेज को बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था।

याचिकाकर्त्ता को पहचान पैरेड जाँच में नहीं पहचाना गया था और उसे संदेह के आधार पर फंसाया गया है। कुछ सह–अभियुक्तगण जैसे रोहन कुमार सिंह और बादल सरदार को इस न्यायालय के द्वारा क्रमशः बी0ए0 संख्या 695/2018 और बी0ए0 संख्या 2699/2019 में जमानत प्रदान किया जा चुका है। याचिकाकर्त्ता दिनांक 07.03.2018 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सरायकेला की संतुष्टि पर आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 51/2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 193/2018 से उदभूत् एस0टी0 वाद संख्या 84/2018 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)